न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 708 सन 2020

अनवान :–

1. बलदेवसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
2. मोहनसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
3. केवलसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. हाकमसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
3. करनेसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
4. करतारकौर पत्नी बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
5. राजेन्द्र कौर पुत्री स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा
6. गुरूमेलसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा
7. गुरूदीपसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
8. सिमरजीत कौर पुत्री बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
9. कलदीपसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
10. रणजीतकौर पुत्री स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07/06/2024

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के 88 मिन की 4304 बीधा भूमि दुलाराम वल्द हुणताराम जाति कुम्हार साकिन बिरकाली के नाम से दर्ज थी जिसे रजिस्ट्रर्ड बेयनामा दिनांक 19.05.1965 को बाबूसिह, हाकमसिह , करनेलसिह , केवलसिह , मोहनसिह , बलदेवसिह पि0 बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा को बेचान कर दी थी तत्पश्चात उपनिवेशन विभाग द्वारा अवैध बेचान मानतें हुए अराजीराज दर्ज दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि हाल प0न0 किला न0 में परिर्वतन होकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक (41.00 बीधा) मे पैमुद होकर सिवायचक काबिलकाश्त दर्ज है। जिस पर, हाकमसिह , करनेलसिह , केवलसिह , मोहनसिह , बलदेवसिह पि0 बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा तथा बाबुसिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के कब्जा काश्त है।

वाद भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15/15एएए एवं उनके अधीन जारी परिपत्रों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक भूमि में में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 भी वादीगण के साथ खातेदारी पाने के अधिकारी अधिकार समाहित होने के कारण तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एव 15एएए एवं उनके अधीन समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अधीन रिकार्ड एवं मोका की विस्तृत जांच की जाकर जबाब पेश किया गया कि

पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की जमाबन्दी, गिरदावरी का अवलोकन किया। गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 में ख.नं. 88 मिन तादादी 43.04 बीघा दूलाराम वल्द हुणताराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली के नाम अंकित है। गिरदावरी संवत् 2012 से 2015 में दूलाराम वल्द हुणताराम के नाम दर्ज है, भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा द्वारा ख.न. 88 मिन से रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक में पैमुद किये गये है दूलाराम वल्द हुणताराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली ने उपपजियक नोहर कार्यालय में पंजिकृत बैयनामे द्वारा ख.नं. 88 मिन की 43.04 **बीघा भूमि** दिनांक 19.05.1965 को बाबूसिह, हाकमसिह , करनेलसिह , केवलसिह , मोहनसिह , बलदेवसिह पि0 बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा को बेचान कर दी। तत्पश्चात उपनिवेशन विभाग द्वारा इस बेचान को अवैध मानते हुए अराजीराज दर्ज कर दी। वर्तमान जमाबन्दी में रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक भूमि सिवायचक काबिलकाश्त दर्ज है।

बाबूसिह वल्द बन्तासिह का देहान्त हो गया हे जिसके जायज वारिसान प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है इसप्रकार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के पिता बाबूसिह के द्वारा खरीद की गई भूमि रोही मोजा बिरकाली बारानी बाद भूमि लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है।

बिरकाली गांव को इंदिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में राज.उपनिवेशन अधि.1954 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात् 15.02.2000 में बिरकाली को नॉटिफिकेशन No.F.20(7) col/98–15.02.2000 के द्वारा भाखड़ा परियोजना में अधिसूचित कर दिया गया। अतः यह संशय है कि उक्त काश्तकार को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के नियमों के अन्तर्गत अथवा भाखड़ा परियोजना के नियमों के अन्तर्गत खातेदारी दी जाए इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी किए गये है, साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1954 की विभिन्न धाराओ एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा परि0 सरकारी भूमि आंवटन व विक्रय) नियम 1955 के विविध नियमो का अध्ययन करना आवश्यक है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा 22.07.1998 को एक पत्र क्रमांक प. 5 (34) उप 95 जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ गंगानगर व बीकानेर को लिखा गया है जिनका सार है कि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व के खातेदारो द्वारा विक्रय के अन्तरितियों को भी आर0टी0ए0 1955 की धारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने चाहिए। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से खातेदारों के अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में उपनिवेशन अधि0 1954 की धारा 13 क (1) एवं 13 क (1 क) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 ककक के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा 14/12/2007 को एक पत्र क्रमांक प.4(2)उप/99 जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ व गंगानगर को लिखा गया है जिसका सार है कि प्री–55 की 69 आंवटियों को अस्थायी से स्थायी आंवटन का लाभ दिया जा सकता है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 19.05.2010 को जारी किया गया है, जिसका सार है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 एक क्षेत्र विशेष अधिनियम है यह क्षेत्र विशेष में लागू होने की त[illegible]ही इसके प्रतिबंध लागू होते है। (बिरकाली के सन्दर्भ में यह दिनांक 31.08.1[illegible] उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने से पूर्व अपने खातेदारी अधिकारों का अ[illegible] पर उप0 अधि0 1954 की धारा 13(1) के प्रतिबंध लागू नही माने जा सकते। जिन खातेदारों [illegible] राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 15 ककक के तहत खातेदारी अधि0 मिले है और उन्होने उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हाने से पूर्व विधिक रूप से खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण किया है, उनके अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार स्वतः ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मिल जाने चाहिए जो हस्तान्तरण कर्ता को थे। न ही उन्हें उपनिवेशन अधि0 की धारा 13 क(1) के अनुसार नियमन हेतु आवेदन करने की आवश्यकता है।

राजस्थान का तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व के काश्तकारों के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात भूमि का बेचान कर दिया था ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक एफ 12(12) राज/16/4266 दिनांक 07.09.2016 को श्रीमान शासन उपसचिव उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया की (पत्र में उल्लेखित किया गया की) उपनिवेशन क्षेत्र धोषित होने से पूर्व या पश्चात भूमि का बेचान जरिये बैयनामा कर दिया गया है तथा वर्तमान में क्रेता भूमि पर काबिज है को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में दिशा निर्देश जारी फरमावे।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के उक्त पत्र पर श्रीमान शासन उपसचिव उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय जयपूर द्वारा निर्देशित किया गया की विभाग के परिपत्र दिनांक 22.07.1998 जो की इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन धोषित होने से पूर्व के काश्तकारों के द्वारा किये गये बेचान को विधिमान्य /पुख्ता आवंटन करने के सम्बध में है तथा उक्त परिपत्र को सन्दर्भित पत्र में वर्णित भूमि (ग्राम बिरकाली) प्रभावित काश्तकारों के प्रकरणों बाबत भी लागू मानते हुए खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

उपनिवेशन विभाग द्वारा क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 25.07.2017 को जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को एक पत्र लिया गया है जिसका सार है कि गांव बिरकाली वर्ष 2000 में आई.जी.एन.पी. से भाखड़ा में आने से प्रभावित काश्तकारो के प्रकरणो के सन्दर्भ में 22.07.1998 व 19.05.2010 के परिपत्रों को लागू मानते हुए कार्यवाही करनी चाहिए।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए में लिखा है कि :– खुदकाश्त का धारक या अधिभोगी अभिधारी या मॉरूसीदार या खातेदार या जिसे अन्तरणीय या उत्तराधिकार योग्य अधिकार प्राप्त थे। जिसका नाम तत्समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में इस रूप में अभिलिखित था (15 एएए (1) क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से इस अधिनियम के अधीन के खातेदारी अभिधारी के समस्त अधिकारो का हकदार और समस्त दायित्वों का अध्यधीन होगा। राजस्थान उप0 (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन व विक्रय) नियम 1955 का नियम 13 आंवटन के लिए पात्र व्यक्ति, 13 क अतिचारियों के कतिपय मामलों के नियमतिकरण, नियम–16 आंवटन की परिसीमा नियम 17 मूल्यों के नियतन से संबन्धित है। उक्त परिपत्रों का व प्रासंगिक नियमों का अध्ययन करने के पश्चात विषयान्तर्गत प्रकरण में रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

उक्त काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13,14,15,19 के अन्तर्गत खातेदार अभिधारी घोषित कर दिये गये थे जिन्हे बाद में उपनिवेशन विभाग द्वारा अराजी काश्तकार घोषित कर दिया गया था। जिन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 15 एएए जोड़कर पुनः खातेदारी अधिकारी दे दिये गये थे। यहां तक कि संवत् 2012 के अभिलिखित खातेदारों को पुनः खातेदार घोषित होने हेतु आवेदन की भी आवश्यकता नही थी। ऐसी स्थिति में जब किसी अधिनियम द्वारा किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हो और तत्समय यदि केवल अधिलिखित होने से ही शेष रहे हो। वर्तमान में केवल इस आधार पर ऐसे काश्तकारो को खातेदारी अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है कि आज यहां भाखड़ा परियोजना के प्रावधान लागू हो चुके है।

इस सम्बध में श्रीमानजी के पत्रांक रीडर/विविध/2021/1887 दिनांक 22.09.2021 से आप द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ को प्रेषित मार्गदर्शन दिनांक 31.05.1961 से 30.03. 1968 तक के बैयनामों पर खातेदारी अधिकार करने के लिये मार्गदर्शन चाहा गया जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने पत्रांक एफ 12(12)(19) राज/15/2501 दिनांक 02.02.2022 से परिपत्र. दिनांक 19.05.2010 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है (

दूलाराम वल्द हुणताराम द्वारा द्वारा ख.नं. 88 मिन की तादादी 43.04 बीघा भूमि दिनांक 19.05. 1962 को बाबूसिह, हाकमसिह , [illegible] , [illegible] , मोहनसिह , बलदेवसिह पि0 बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील [illegible] भूमि बेचान कर दी गई। उक्त बेचान दिनांक 19.05.1965 को [illegible] को खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में उप0 अधि0 1955 की धारा 13(1) पर रोक है, किन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 19.05.2010 के अनुसार उक्त काश्तकारों को नियमन हेतु आवेदन की भी आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रेता का दुलाराम पुत्र. हुणताराम से खसरा न0 88 की 43.04 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो हाल प0न0/किला में परिर्वतन हो चुकी है क्रेतागण का प0न0 117/36 के किला न0 18 प0न0 117/28 (567) किला न0 25 पर कब्जा नही है अन्य काश्तकार के नाम वर्तमान में दर्ज है इसलिये क्रेता /वादीगण कुल 43.04 बीधा के स्थान पर 41.00 बीधा भूमि के ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है

अतः हमारी राय में वादीगण वं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं बाबूसिह पुत्र बन्तासिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए के अन्तर्गत किमतन आवंटन कर गैरखातेदार अभिलिखित किया जाना चाहिए।

उक्त समस्त विवरण की रोशनी में मैं पात्र काश्तकार/काश्तकारों को निम्न शर्तो के अधीन खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा करता हूँः–

1. किसी राशि/प्रभार के बकाया होने पर खातेदार उसको जमा करवाने के लिये जिम्मेवार होगा।
2. न्यायियक विवाद होने पर या स्थगन आदेश होने पर खातेदारी स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. सार्वजनिक कार्य /आबादी हेतु आरक्षित होने पर खातेदारी स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी/वित्तीय प्रभार के लिये काश्तकार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/रिकार्ड एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एवं 15 एएए/इस अधीन के तहत समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट रिकार्ड के अनुसारः–

दूलाराम वल्द हुणताराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली रोही मौजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 88 मिन की 43.04 बीधा भूमि का खातेदार काष्तकार था जिसने रजिस्ट्रर बेयनामा दिनांक 19.05.1965 को वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के पिता बाबूसिह को उक्त भूमि बेचान कर दी जो खसरा गिरदावरी में दर्ज थी तत्पष्चात उक्त भूमि उपनिवेषन के अन्तर्गत आने पर उपनिवेषन विभाग के द्वारा उक्त बेचान को अवैध बेचान मानते हुए आराजीराज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रश्नगत भूमि वीदगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काष्त मैं है।

रोही मोजा बिरकाली बारानी के साबिका खसरा न0 88 मिन की 43.04 बीधा को पैमाईश के दोरान रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक में पैमुद किये गये है जो सूचि न0 4 एव तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से स्पष्ट है।

क्रेता बाबूसिह पुत्र बन्तासिह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण /सदस्य प्रमाण पत्र से साबित है तथा लालचन्द पुत्र रूधाराम के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का विवाद या ऐतराज भी नही है।

वर्तमान में खरीदशुद्वा रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक कुल योग 10.373हैक भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार क्रेता का दुलाराम पुत्र. हुणताराम से खसरा न0 88 की 43.04 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो हाल प0न0/किला में परिर्वतन हो चुकी है क्रेतागण का प0न0 117/36 के किला न0 18 प0न0 117/28 (567) किला न0 25 पर कब्जा नही है अन्य काश्तकार के नाम वर्तमान में दर्ज [illegible] कुल 43.04 बीधा के स्थान पर 41.00 बीधा भूमि के ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने [illegible] है जिसे वादीगण ने स्वीकार किया है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा [illegible] 5 (34) उप 95 जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ गंगानगर व [illegible] है जिनका सार है कि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व के खातेदारो द्वारा विक्रय के अ[illegible]तियों को भी आर0टी0ए0 1955 की धारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने चाहिए। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से खातेदारों के अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में उपनिवेशन अधि0 1954 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

धारा 13 क (1) एवं 13 क (1 क) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 ककक के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा 14/12/2007 को एक पत्र क्रमांक प.4(2)उप/99 जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ व गंगानगर को लिखा गया है जिसका सार है कि प्री–55 की 69 आंवटियों को अस्थायी से स्थायी आंवटन का लाभ दिया जा सकता है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 19.05.2010 को जारी किया गया है, जिसका सार है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 एक क्षेत्र विशेष अधिनियम है यह क्षेत्र विशेष में लागू होने की तारीख से ही इसके प्रतिबंध लागू होते है। (बिरकाली के सन्दर्भ में यह दिनांक 31.08.1961 है) यदि किसी व्यक्ति ने उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने से पूर्व अपने खातेदारी अधिकारों का अन्तरण किया है तो उस पर उप0 अधि0 1954 की धारा 13(1) के प्रतिबंध लागू नही माने जा सकते। जिन खातेदारों को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 15 ककक के तहत खातेदारी अधि0 मिले है और उन्होने उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हाने से पूर्व विधिक रूप से खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण किया है, उनके अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार स्वतः ही मिल जाने चाहिए जो हस्तान्तरण कर्ता को थे। न ही उन्हें उपनिवेशन अधि0 की धारा 13 क(1) के अनुसार नियमन हेतु आवेदन करने की आवश्यकता है।

राजस्थान का तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व के काश्तकारों के द्वारा राजस्थान का तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात भूमि का बेचान कर दिया था ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक एफ 12(12) राज/16/4266 दिनांक 07.09.2016 को श्रीमान शासन उपसचिव उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया की (पत्र में उल्लेखित किया गया की) उपनिवेशन क्षेत्र धोषित होने से पूर्व या पश्चात भूमि का बेचान जरिये बैयनामा कर दिया गया है तथा वर्तमान में क्रेता भूमि पर काबिज है को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में दिशा निर्देश जारी फरमावे।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के उक्त पत्र पर श्रीमान शासन उपसचिव उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय जयपूर द्वारा निर्देशित किया गया की विभाग के परिपत्र दिनांक 22.07.1998 जो की इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन धोषित होने से पूर्व के काश्तकारों के द्वारा किये गये बेचान को विधिमान्य /पुख्ता आवंटन करने के सम्बध में है तथा उक्त परिपत्र को सन्दर्भित पत्र में वर्णित भूमि (ग्राम बिरकाली) प्रभावित काश्तकारों के प्रकरणों बाबत भी लागू मानते हुए खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

उपनिवेशन विभाग द्वारा क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 25.07.2017 को जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को एक पत्र लिया गया है जिसका सार है कि गांव बिरकाली वर्ष 2000 में आई.जी.एन.पी. से भाखड़ा में आने से प्रभावित काश्तकारो के प्रकरणो के सन्दर्भ में 22.07.1998 व 19.05.2010 के परिपत्रों को लागू मानते हुए कार्यवाही करनी चाहिए।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए में लिखा है कि :– खुदकाश्त का धारक या अधिभोगी अभिधारी या मॉरूसीदार या खातेदार या जिसे अन्तरणीय या उत्तराधिकार योग्य अधिकार प्राप्त थे। जिसका नाम तत्समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में इस रूप में अभिलिखित था (15 एएए (1) क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से इस अधिनियम के अधीन के खातेदारी अभिधारी के समस्त अधिकारो का हकदार और समस्त दायित्वों का अध्यधीन होगा। राजस्थान उप0 (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन व विक्रय) नियम 1955 का नियम 13 आंवटन के लिए पात्र व्यक्ति, 13 क अतिचारियों के कतिपय मामलों के नियमतिकरण, नियम–16 आंवटन की परिसीमा नियम 17 मूल्यों के नियतन से संबन्धित है। उक्त परिपत्रों का व प्रासंगिक नियमों का अध्ययन करने के पश्चात विषयान्तर्गत प्रकरण में रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

उक्त काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13,14,15,19 के अन्तर्गत खातेदार अभिधारी घोषित कर दिये गये थे जिन्हे [illegible] उपनिवेशन विभाग द्वारा अराजी काश्तकार घोषित कर दिया गया था। जिन्हे [illegible] में धारा 15 एएए जोड़कर पुनः खातेदारी अधिकारी दे दिये गये थे। यहां तक [illegible] संवत् 2012 के अभिलिखित खातेदारों को पुनः खातेदार घोषित होने हेतु आवेदन की भी आवश्यकता नही थी। ऐसी स्थिति में जब किसी अधिनियम द्वारा किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हो और तत्समय यदि केवल अधिलिखित होने से ही शेष रहे हो। वर्तमान में केवल इस आधार पर ऐसे काश्तकारो को खातेदारी अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है कि आज यहां भाखड़ा परियोजना के प्रावधान लागू हो चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस सम्बध में श्रीमानजी के पत्रांक रीडर/विविध/2021/1887 दिनांक 22.09.2021 से आप द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ को प्रेषित मार्गदर्शन दिनांक 31.05.1961 से 30.03. 1968 तक के बैयनामों पर खातेदारी अधिकार करने के लिये मार्गदर्शन चाहा गया जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने पत्रांक एफ 12(12)(19) राज/15/2501 दिनांक 02.02.2022 से परिपत्र. दिनांक 19.05.2010 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अध्यन के उपरान्त तहसीलदार नोहर के द्वारा निवेदन/अभिशषां की गई की

दूलाराम वल्द हुणताराम द्वारा द्वारा ख.नं. 88 मिन की तादादी 43.04 बीघा भूमि दिनांक 19.05. 1962 को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के पिता बाबूसिह पुत्र बन्तासिह को बेचान कर दी गई। उक्त बेचान दिनांक 19.05.1965 को किया गया था। अतः अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में उप0 अधि0 1955 की धारा 13(1) पर रोक है, किन्तु उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र क्रमांक प.5(34)उप/95 पार्ट–II दिनांक 19.05. 2010 के अनुसार उक्त काश्तकारों को नियमन हेतु आवेदन की भी आवश्यकता नहीं है।

अतः हमारी राय में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए के अन्तर्गत किमतन आवंटन कर गैरखातेदार अभिलिखित किया जाना चाहिए।

तहसीलदार नोहर की अभिशंषा व प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि जो राजस्व रिकार्ड में आ0का0 पूर्व/ बाद का दर्ज है को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम 1955 के उक्तानुसार प्रावधानों के तहत अस्थाई काश्तकार माना जाकर किमतन पुख्ता आवंटन किया जाने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशषां व वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम 1955 के प्रावधानों /परिपत्रों/अधिसूचनाओं के तहत /अधीन वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक्ट प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक्ट प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक्ट कुल योग 10.373हैक्ट .बारानी भूमि भाखडा परियोजन क्षैत्र की आरक्षित दर्ज 4000/– प्रतिबीधा की दर पुख्ता आवंटन किया जाता है इसी अनुसार पर्चा डिक्री/आवंटन आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर को एक प्रति भिजवाई जाकर निदेर्शित किया जाता है कि उक्तानुसार विक्रय पंजीका में खाता खोला जाकर नियमानुसार राशि जमा करवाई जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1 सुखदेवसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
2. मोहनसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
3. केवलसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

1. हाकमसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
2. करनेसिह पुत्र बन्तासिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
3. करतारकौर पत्नी बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
4. राजेन्द्र कौर पुत्री स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा
5. गुरूमेलसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा
6. गुरूदीपसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
7. सिमरजीत कौर पुत्री बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
8. कलदीपसिह पुत्र स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा।
9. रणजीतकौर पुत्री स्व बाबुसिह जाति जटसिख निवासी सरावा तहसील फरीदकोट जिला भटिण्डा

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 708 सन 2020 निर्णय दिनांक – 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0117/29(596) किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25/3.795हैक्‍ प0न0 117/30(643) के किला न0 4/0.2530 ,प0न0117/36(566) के किला न0 21 ता 24/1.0120हैक्‍ प0न0 117/37(567) किला न0 01 ता 5 व 7 ता 14 ,17 ता 24 कुल 5.313हैक्‍ कुल योग 10.373हैक्‍ .बारानी भूमि भाखडा परियोजन क्षैत्र की आरक्षित दर्ज 4000/– प्रतिबीधा की दर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा भूमि पुख्ता आवंटन किया जाता है। आवंटन आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर को एक प्रति भिजवाई जाकर निदेर्शित किया जाता है कि उक्तानुसार विक्रय पंजीका में खाता खोला जाकर नियमानुसार राशि जमा करवाई जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)